

26⁵/₂₆

पञ्चावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपास्थित।
वकील प्रार्थिया को अप्रार्थीगण के नोटिस
पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के
बावजूद आज दिनांक पेशी तक न्यायालय के
आदेशों की पालना नहीं की गई है।

अधिवक्ता प्रार्थिया का उक्त कृत्य न्यायालय
के आदेशों की अवहेलना परिलक्षित होता
है, लिहाजा उक्त पञ्चावली अदम तकमिल
में खारिज की जाती है। पञ्चावली फ़ैसल
शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सदस्यक क्लर्क एवं पदेन
उपसदस्य अधिकारी, बाली